न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 59 / 2021

आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर –302020

...... प्रार्थी

बनाम

1. श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा पता– बीघावास, हिंगोटिया, जिला दौसा दूसरा पता– ग्राम बीघावास, ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति लवाण तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान–303303(ऋणी व बंधककर्ता)
2. श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री कमलेश कुमार शर्मा, पता– पता– बीघावास, हिंगोटिया, जिला दौसा राज0 303303(सह ऋणी)
3. श्री महेश चंद शर्मा पुत्र श्री मूलचंद शर्मा, पता– हापावास, दौसा राजस्थान–303303(जमानती)

.... अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित : श्री दिनेश जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 14.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड ने अप्रार्थी / ऋणीगण व अन्य को 6,00,000 / –(रूपये छः लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 / 2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13 / 2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याणसहाय शर्मा की संपत्ति जो ग्राम बीघावास, ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति लवाण, तहसील लवाण जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका बिल्टअप एरिया 151.55 वर्गगज एवं सुपर बिल्टअप एरिया 151.55 वर्गगज है जो कि थाना सदर दौसा के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14 दिसबर 2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा